Victims Information

अपराध से प्रभावित लोगों के लिए

क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (दण्ड न्याय प्रणाली) से गुजरना क्या होता है तथा सहायता कैसे प्राप्त की जाए

यह फैक्टशीट (तथ्य पत्र) दण्ड न्याय प्रणाली के बारे में तथा अपराध से पीड़ित के रूप में आपको मिलने वाली सहायता के बारे में जानकारी देती है।

अपराध से पीड़ित होना एक बहुत ही मुश्किल, तनावपूर्ण तथा कभी-कभी दु:खदायी अनुभव हो सकता है। हर व्यक्ति इसका सामना अपने तरीके से करता है। दण्ड न्याय प्रणाली की हर स्टेज (चरण) पर, तथा उसके बाद भी अपराध के व्यावहारिक तथा भावनात्मक प्रभावों का सामना करने के लिए सहायता उपलब्ध है।

मुख्य सम्पर्कों और शब्दावली के लिए कृपया इस फैक्टशीट के अंत में देखें।

पीड़ित के अधिकार

आपको अधिकार है कि आपको बताया जाए कि आपकी सहायता के लिए क्या सहायता उपलब्ध है, अदालत में आपके केस की प्रगति के बारे में सूचित रखा जाए और अदालत में जाने पर आप क्या अपेक्षा कर सकते इस बारे में जानकारी दी जाए।

अपराध के कारण आप पर होने पर प्रभाव के बारे में अदालत को बताने का आपको अधिकार है। यदि आप किसी बच्चे या युवा व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के शिकार हुए हैं, तो आपको फैमिली ग्रुप कान्फ्रेंस (पारिवारिक समूह सम्मेलन) में भाग लेने और आप क्या होते देखना चाहेंगे इस बारे में अपना मत देने का अधिकार है।

कुछ केसों में, आप या आपके प्रतिनिधि को नेम सप्रेशन (नाम दमन), जमानत, होम डिटेन्शन (घर निरोध) या पैरोल जैसी चीजों के बारे में अपना मत देने का अधिकार है।

आप अदालत के अधिकारियों, पुलिस और आपके केस में अन्य किसी भी व्यक्ति से शालीन, दयालु और आदरपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं। आपको गोपनीयता का पूरा अधिकार है।

अपने अधिकारों और आप किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं, इस बारें में अधिक जानकारी के लिए विक्टिम्स कोड (पीड़ित संहिता) को पढ़ें। यह अन्य उपयोगी जानकारी के साथ हमारी victimsinfo.govt.nz वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का ध्यान नहीं रखा गया है या आपको अपनी आशा के अनुसार सेवा नहीं प्राप्त हुई है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। victimsinfo.govt.nz वेबसाइट पर जाएं या विक्टिम्स इन्फोर्मेशन लाईन को 0800 650 654 पर फोन करें।

अपराध की रिपोर्ट करना

अगर एमरजेंसी हो तो, 111 नम्बर पर फोन करें और पुलिस की मांग करें।

जब कोई एमरजेंसी ना हो तो आप अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन को फोन कर सकते हैं या वहाँ जा सकते हैं। आप अपने साथ किसी को ले जा सकते हैं या आप विक्टिम सपोर्ट को आपसे वहाँ मिलने के लिए कह सकते हैं (Victim Support 0800 842 846).

आप जो कुछ भी कहेंगे, पुलिस अधिकारी उसे लिख लेगा। बाद में, वे आपको फाइल रेफरेंस नम्बर (संदर्भ संख्या) सहित एक पत्र या शिकायत पावती फार्म भेजेंगे। उस फार्म और नम्बर को एक सुरक्षित जगह पर रखें- बीमे के क्लेम जैसी अन्य चीजों और केस के बारे में आपको अपडेट करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी।

पुलिस विक्टिम सपोर्ट या किसी ऐसी विशेषज्ञ एजेंसी से आपका संपर्क करायेगी जो आपके लिए उपयुक्त सहायता प्रदान कर सकती है।

पुलिस आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगी। पुलिस अलग-अलग तरह की प्रणालियों का प्रयोग करती है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह के अपराध की रिपोर्ट की जा रही है – आपके केस के इंचार्ज अधिकारी आपको इस बारे में अधिक जानकारी दे सकते हैं। आप अगर किसी बारे में चिन्तित हैं तो उन्हें इस बारे में बतायें।

अपने इलाके में अतिरिक्त साधनों और सहायता एजेंसियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप विक्टिम इन्फोर्मेशन लाईन को 0800 650 654 पर फोन कर सकते हैं।

इन्वेस्टीगेशन (जाँच-पड़ताल)

पुलिस आपसे तथा ऐसे अन्य किसी व्यक्ति से बात करेगी जिसे अपराध के बारे में कोई जानकारी है। वे सबूत की फोटो भी खींच सकते हैं या केस में सहायता के लिए सबूत के रूप में सामान को भी साथ ले जा सकते हैं। अगर पुलिस के पास पर्याप्त सबूत होते हैं, तो वे गिरफ्तारी करेंगे और उस व्यक्ति को दण्डनीय अपराध के लिए चार्ज करेंगे।

बेल (जमानत)

एक बार जब किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उन्हें अदालत में हाजिर होने की जरूरत पड़ने तक रिहा किया जा सकता है। इसे बेल (जमानत) कहा जाता है। कभी-कभी उन्हें कुछ शर्तों का पालन करने की जरूरत पड़ सकती है जैसे कि उन्हे कहाँ निवास करने की जरूरत है और उन पर कर्फ्यू लगाना। अगर पुलिस को लगता है कि आप या समुदाय में अन्य लोगों को खतरा है, तो उस व्यक्ति को अदालत में हाजिर होने तक हिरासत में रखा जा सकता है, जब वे दुबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आप अगर एक गंभीर अपराध से पीड़ित हुए हैं (इस फैक्टशीट के अन्त में शब्दावली को देखें), तो आप उस व्यक्ति के बेल पर रिहा किए जाने के बारे में अपने विचार दे सकते हैं। आप विक्टिम नोटिफिकेशन (पीड़ित चेतावनी) रजिस्टर में शामिल होने का भी चुनाव कर सकते हैं। इनके बारे में अधिक जानने के लिए, victimsinfo.govt.nz पर हमारी अन्य पुस्तिकाओं को देखें।

विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट (पीड़ित प्रभाव कथन)

आपसे पूछा जाएगा कि आप विक्टिम स्टेटमेंट (पीड़ित कथन) देना चाहते हैं या नहीं। इसमें अदालत को यह बताया जाता है कि अपराध का आप पर क्या प्रभाव पड़ा है। आपके केस के इंचार्ज पुलिस अधिकारी, विक्टिम सपोर्ट या अन्य सहायता एजेंसी आपका यह स्टेटमेंट (कथन) लिखने में सहायता कर सकते हैं। अपने विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट (पीड़ित प्रभाव कथन) के बारे में अधिक जानकारी के लिए *फैसला और सजा* के अन्तर्गत देखें।

कभी-कभी, जाँच-पड़ताल चाहे कितनी भी संपूर्ण क्यों न हो, पर्याप्त सबूत न होने की वजह से गिरफ्तारी नहीं की जा सकती या केस को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप पर विश्वास नहीं किया गया था।

सपोर्ट (सहायता)

अपने केस की जाँच-पड़ताल के दौरान आप सहायता ले सकते हैं। भावनात्मक सहारे या व्यावहारिक चीजों के लिए सहायता (जैसे कि बीमे के बारे में पता लगाने) के लिए अपने इलाके में अन्य सहायता एजेंसियों का पता लगाने के लिए विक्टिम सपोर्ट को 0800 842 846 नम्बर पर या विक्टिम्स इन्फोर्मेशन लाईन को 0800 650 654 नम्बर पर फोन करें।

आप दुर्घटना क्षतिपूर्ति निगम (एसीसी) से सहायता के भी अधिकारी हो सकते हैं। एसीसी क्लेम्स हैल्पलाईन को 0800 101 996 नम्बर पर या (सैक्सुअल वायलैंस या यौन हिंसा से सम्बन्धित दावों के लिए) सैंसिटिव क्लेम्स हैल्पलाईन को 0800 735 566 पर फोन करें।

युवा अपराध

अगर अपराध किसी 17 साल से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा किया गया है तो मामले को यूथ जस्टिस सिस्टम (युवा न्याय प्रणाली) के जरिये अलग तरीके से निपटाया जायेगा। पीड़ित युवा न्याय प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं तथा आपको फैमिली ग्रुप कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने का अधिकार है।

चाइल्ड, यूथ एन्ड फैमिली (CYF) और अदालत में युवा न्याय प्रणाली के बारे में विभिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। CYF से एक फैमिली ग्रुप कोओरडिनेटर (पारिवारिक समूह समन्वयक) आपसे सम्पर्क करेंगे।

आर्थिक सहायता

गंभीर अपराधों से पीड़ित लोगों के लिए आर्थिक ग्रांट (अनुदान) उपलब्ध हैं (इस फैक्टशीट के अंत में शब्दावली को देखें)।

- ये ग्रांट अपराध के प्रभावों से निपटने में हुए कुछ खर्चों को कवर करने में मदद कर सकती हैं। प्रत्येक ग्रांट के लिए पात्रता मापदंड और अधिकतम सीमा लागू होती है।
- आवेदन के लिए आपको किस जानकारी की जरूरत होगी, यह जानने के लिए कृपया विक्टिम सपोर्ट से 0800 842 846 नम्बर पर सम्पर्क करें।

आर्थिक ग्रांट के बारे में सबसे अप-टू-डेट जानकारी के लिए victimsinfo.govt.nz पर जाएं या विक्टिम सपोर्ट को फोन करें।

कोर्ट (अदालत) में

डिफेन्डेन्ट (वह व्यक्ति जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है) शायद अदालत में कई बार उपस्थित होंगे, उदाहरण के तौर पर दोषी या निर्दोष होने का आवेदन करने के लिए या जज द्वारा केस के सबूतों को देखने के लिए। ऐसी संभावना नहीं है कि आपको इन सारी सुनवाईयों में उपस्थित होना पड़े, परन्तु अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं।

यदि अभियुक्त दोषी होने का निवेदन करता है, तो उन्हें उसी दिन सजा सुनाई जा सकती है, या सजा की सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की जाएगी।

यदि व्यक्ति निर्दोष होने का निवेदन करता है, तो केस ट्रॉयल के लिए जाएगा। पुलिस प्रोसिक्यूटर (अभियोक्ता) या सरकारी प्रोसिक्यूटर केस को अदालत में पेश करेंगे, यह केस के प्रकार और जिस अदालत में केस को सुना जाता है उसके प्रकार पर निर्भर करता है।

क्योंकि अपराध का प्रभाव सारे समुदाय पर पड़ता है, प्रोसिक्यूटर सरकार के लिए काम करता है और सरकार, पुलिस तथा जनता की तरफ से केसों पर मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार होता है।

अभियुक्त के खिलाफ केस को साबित करने में सहायता देने के लिए आपको सरकार के लिए गवाह बनने की जरूरत पड़ सकती है (*गवाह बनना* को देखें)।

अदालती केस लम्बे और जटिल हो सकते हैं। ये टीवी की तरह से नहीं होते। इसमे काफी लोग शामिल हो सकते हैं और भाषा अपरिचित हो सकती है। आप अगर किसी चीज के बारे में अनिश्चित हैं तो आप अपने कोर्ट विक्टिम एवाइज़र, अपने केस के इंचार्ज पुलिस अधिकारी या अपने व्यक्तिगत सहायता कर्मचारी से बात कर सकते हैं।

आपको यदि सुनने, चलने-फिरने या भाषा अनुवाद सहायता की जरूरत हो, तो अपने कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र, इंचार्ज पुलिस अधिकारी या सहायता कार्यकर्ता से बात करें।

आपकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी समय अदालत में अपनी सुरक्षा के बारे में चिन्तित हों, तो पुलिस अधिकारी या कोर्ट सुरक्षा अधिकारी से बात करें।

कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र (कोर्ट पीड़ित सलाहकार)

अभियुक्त जब एक बार कोर्ट में पहली बार पेश हो जाता है, तो कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र आपसे सम्पर्क स्थापित करेंगे। यह उनका काम है कि वे आपके केस की प्रगति और आप उसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस बारे में आपको सूचित रखें। वे आपको यह भी बता सकते हैं कि आप भावनात्मक और आर्थिक सहायता कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कोर्ट सर्विसिज़ फॉर विक्टिम्स (पीड़ितों के लिए कोर्ट सेवाएं) नामक पुस्तिका में इस सेवा के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध है।

आपके कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र, आपके केस के इंचार्ज पुलिस अधिकारी या आपके सहायता कार्यकर्ता जो कुछ भी अस्पष्ट हो उसे स्पष्ट करने के लिए हैं।

आप अपने कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र से सीधा, या विक्टिम्स इन्फोर्मेशन लाईन के माध्यम से 0800 650 654 नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं।

गवाह बनना

अदालती केसों के लिए गवाह एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ये बहुत ही जरूरी सबूत प्रदान कर सकते हैं।

अदालत के सामने

आपको अगर गवाह के रूप में बुलाया जाता है, तो इंचार्ज पुलिस अधिकारी या कोर्ट विक्टिम सलाहकार आपको बतायेंगे कि आपको अदालत में कब और कहाँ हाजिर होना है। आपको घर पर एक सरकारी नोटिस डिलीवर किया जाएगा।

प्रोसिक्यूटर या इंचार्ज अधिकारी आपसे इस बारे में बात करेंगे कि गवाह के रूप में आपको क्या करना है। आप समय से पहले कोर्टरूम को जाकर देखने की भी मांग कर सकते हैं। इसका प्रबन्ध करने के लिए अपने कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र, इंचार्ज पुलिस अधिकारी या सहायता कार्यकर्ता से बात करें।

यदि आप निम्नलिखित के लिए प्रबन्ध करना चाहते हैं तो अपने कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र या इंचार्ज पुलिस अधिकारी से बात करें:

- अदालत से बाहर आपसे किसी को मिलने के लिए
- गवाही देते समय अपने साथ बैठने के लिए एक सहायक व्यक्ति
- एक स्क्रीन या क्लोज़्ड सरकिट टीवी, ताकि गवाही देते समय आपको अभियुक्त को देखना न पड़े (ऐसा केवल कुछ केसों के लिए ही होता है)।

ज्यादातर अदालतों में गवाह के रूप में बुलाये गए लोगों को इंतजार करने के लिए अलग इलाके होते हैं, परन्तु ऐसा संभव है कि आप अभियुक्त के परिवार और मित्रों को अदालत के आस-पास देखें।

अदालत में

एक गवाह के रूप में, आपसे क्या हुआ या अपराध के बारे में आप क्या जानते हैं, इस विषय में सवाल पूछे जायेंगे।

जब आप गवाही देंगे, तो अक्सर आप अभियुक्त को देख सकेंगे।

यह महत्वपूर्ण है कि आप जब गवाह बनते हैं, तो उस दिन से पहले और बाद में आपको सहायता उपलब्ध हो। अपने कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र या सहायक कार्यकर्ता से अपने लिए उपयुक्त सहायता प्राप्त करने के लिए बात करें।

फैसला और सजा

अदालती केस के अन्त में, ज्यूरी (ज्यूरी ट्रायल के लिए) या जज (जहाँ ज्यूरी न हो) यह निर्णय लेते हैं कि अभियुक्त दोषी है या निर्दोष। कुछ केसों में जब ज्यूरी निर्णय पर नहीं पहुँच पाती, तो दूसरी ट्रायल हो सकती है।

अगर अभियुक्त को दोषी नहीं पाया जाता, वे जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यह आप के लिए अप्रत्याशित हो सकता है और हो सकता है आप इसके बारे में अपने कोर्ट विक्टिम सलाहकार या सहायता कार्यकर्ता के साथ बात करना चाहें।

अगर उस व्यक्ति को दोषी पाया जाता है, तो उन्हें उसी दिन सजा सुनाई जा सकती है या सजा की सुनवाई की तारीख निर्धारित की जाएगी।

रिस्टोरेटिव जस्टिस (मज़बूत करनेवाला न्याय)

रिस्टोरेटिव जस्टिस कॉन्फ्रेंस एक पीड़ित, अपराधी, सहायक व्यक्तियों और कोई अन्य स्वीकृत व्यक्तियों जैसे कि समुदाय के प्रतिनिधियों या दुभाषियों के बीच एक अनौपचारिक सुविधाजनक मीटिंग को कहा जाता है।

रिस्टोरेटिव जस्टिस पीड़ितों को अपराधी को यह बताने में समर्थ करता है कि वे उन्हें यह बता सकें कि उन पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस बारे में अपना मत व्यक्त करें कि हानि की क्षतिपूर्ति कैसे की जा सकती है, और अपराध के कारण हुए प्रभावों में से कुछ का समाधान किया जा सके।

आपके केस पर रिस्टोरेटिव जस्टिस का विचार करने के लिए यह जरूरी है कि अपराधी को दोषी पाया जाए या उसने अपराध के लिए स्वयं को दोषी कबूल कर लिया हो, और आप दोनों उसमें भाग लेने के लिए तैयार हैं।

यदि आप रिस्टोरेटिव जस्टिस के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो अपने कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र से पूछें या justice.govt.nz/restorative-justice वेबसाइट पर जाएं।

सजा

कानून द्वारा जज से यह अपेक्षा की जाती है कि अपराधी को सजा देते समय वे कई तत्वों पर विचार करें, जैसे कि अन्य समान अपराधों के लिए क्या सजा दी जा चुकी हैं और अपराधी के बारे में रिपोर्टें।

यदि जज सहमत हों, तो आप (या आपके द्वारा चुना गया कोई अन्य व्यक्ति) अदालत में सजा की सुनवाई से समय अपने सारे विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट को या उसके कुछ हिस्सों को पढ़ सकते हैं। अपने कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र या इंचार्ज अधिकारी से अपनी ओर से पूछने के लिए कहें। अपराधी को सजा देते समय जज द्वारा आपके विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट पर विचार किया जाना जरूरी है।

रेपरेशन (क्षतिपूर्ति)

अगर अपराध के कारण आपकी कोई हानि हुई थी या आपकी संपत्ति खो गई थी या उसका नुकसान हुआ था, तो जज कभी-कभी अपराधी से आपको पैसा देने के लिए कह सकते हैं, जिसे रेपरेशन (क्षतिपूर्ति) कहा जाता है। अपनी क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने के सबसे अच्छे तरीके का प्रबन्ध करने के लिए आप कोर्ट को 0800 909 909 नम्बर पर फोन कर सकते हैं।

अपील

प्रोसिक्यूटर और अपराधी दोनों को फैसले और सजा पर अपील करने का अधिकार है। इसका अर्थ है कि हाई कोर्ट केस पर दुबारा से विचार करता है। यदि ऐसा होता है, तो प्रोसिक्यूटर आपको उस प्रक्रिया के बारे में बतायेंगे।

कोर्ट के बाद

एक बार दोषी पाए जाने पर, अपराधी को कई सजा मिल सकती हैं, जिसमें जेल, कम्युनिटी सेन्टेन्स (समुदाय की सजा) या जुर्माना शामिल हो सकते हैं।

जेल से रिहाई

अपराधियों को जेल से या तो पैरोल पर या फिर उनकी सजा समाप्त होने पर रिहा किया जाता है। ऐसा आपकी अपेक्षा से पहले हो सकता है, क्योंकि दोषी पाए जाने और सजा दिए जाने से पहले हिरासत में बिताये गए समय को उनकी सजा के हिस्से के रूप में गिना जाता है।

अगर अपराधी की सजा समाप्त हो जाती है, तो उनको जेल से रिहा किया जाना जरूरी है। उनकी सजा समाप्त होने के बाद उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता।

अपराधी को अगर पैरोल की अनुमति दी जाती है तो उन्हें जेल से उनकी सजा समाप्त होने से पहले रिहा किया जा सकता है। न्यूज़ीलैंड पैरोल बोर्ड अधिकतर केसों पर विचार करेगा और इस बात पर निर्णय करेगा कि अपराधी की जल्दी रिहाई से कहीं समुदाय की सुरक्षा को अनुचित खतरा तो नहीं होगा।

अपराधियों को पैरोल पर रिहा करने के बाद अक्सर कम से कम पहले छह महीनों के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। इन शर्तों को पैरोल बोर्ड या अपराधी को सजा देने वाले जज द्वारा नियत किया जाता है। इन शर्तों में वे कहाँ निवास कर सकते हैं, किससे सम्पर्क कर सकते हैं, उन पर कर्फ्यू लगाया जाए या नहीं और अन्य तत्व शामिल हो सकते हैं जो समुदाय की रक्षा करने में सहायक हो सकते हैं।

आप पैरोल बोर्ड को बता सकते हैं कि अपराधी की रिहाई के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं।

अपराधी की जेल से जल्दी रिहाई के बारे में अपना मत देने के लिए, आपका विक्टिम नोटिफिकेशन रजिस्टर में दर्ज होना जरूरी है ताकि जब भी अपराधी पैरोल बोर्ड की सुनवाई के लिए जाए तो पैरोल बोर्ड आपसे संपर्क कर सके।

यह सुनिश्चित करेने के लिए कि रजिस्टर में आपका सम्पर्क ब्यौरा अप-टू-डेट (नवीनतम) है, पुलिस, डिपार्टमैंट ऑफ कॉरेक्शन्स या अपनी सहायता एजेंसी से सम्पर्क करें।

आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस बारे में आप पैरोल बोर्ड को लिखित रूप से, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा या व्यक्तिगत रूप से बता सकते हैं:

- **लिखित रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा।**
  अपने पैरोल बोर्ड सम्पर्क से बात करें।
- **व्यक्तिगत रूप से।**
  पैरोल बोर्ड आपके साथ मुलाकात करेंगे। आप उन लोगों से बात करेंगे जो अपराधी से भी मुलाकात करेंगे, परन्तु आप जिस सुनवाई में उपस्थित होंगे वह जेल में नहीं होगी और अपराधी उसमें शामिल नहीं होगा। आप सुनवाई में सहायक व्यक्तियों को अपने साथ रख सकते हैं।

मुख्य सम्पर्क

आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के चाहे किसी भी चरण पर हों, आपके लिए सहायता उपलब्ध है, और अपराध के प्रभावों का सामना करने के लिए व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध है।

पीड़ितों और अपराध से प्रभावित लोगों के लिए कुछ मुख्य सेवाओं का सम्पर्क ब्यौरा यहाँ दिया गया है। इन सेवाओं के बारे में आप अधिक जानकारी विक्टिम्स इन्फोर्मेशन लाईन को 0800 650 654 पर (सोमवार से शुक्रवार को सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक) फोन करके या victimsinfo.govt.nz वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।

एसीसी
acc.co.nz
0800 101 996 क्लेम्स हैल्पलाईन
0800 735 566 सैंसिटिव क्लेम्स हैल्पलाईन
(यौन हिंसा के पीड़ितों के लिए)

कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र्स (कोर्ट पीड़ित सलाहकार)
0800 650 654 विक्टिम्स इन्फोर्मेशन लाईन

डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन्स
04 460 3000
corrections.govt.nz

न्यूज़ीलैंड पैरोल बोर्ड
0800 PAROLE (727 653)
paroleboard.govt.nz

व्यक्तिगत सहायता
victimsinfo.govt.nz या फोन पुस्तिका में व्यक्तिगत सहायता सेवाएं अनुभाग को देखें।

पुलिस
आप अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन को police.govt.nz पर या फोन पुस्तिका के शुरू में नीले पृष्ठों में ढूंढ सकते हैं।

विक्टिम सपोर्ट (पीड़ित सहायता)
0800 VICTIM (842 846) दिन के 24 घंटे
victimsupport.org.nz

वूमैन्स रिफ्यूज़ (महिला शरणस्थल)
0800 REFUGE (733 843) दिन के 24 घंटे
womensrefuge.org.nz

लैंग्वेज़ लाईन अनुवाद सेवाएं
0800 656 656
सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक, शनिवार सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक

शब्दावली

जमानत
जब अपराध के लिए चार्ज किए गए व्यक्ति को पुलिस द्वारा इस शर्त पर रिहा किया जाता है कि वह अदालत में उपस्थित हो।

कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र (अदालत पीड़ित सलाहकार)
एक न्याय मंत्रालय का कर्मचारी जो अदालत की प्रणाली को स्पष्ट कर सकता है और पीड़ितों को उनके केस की प्रगति के बारे में सूचित रखता है।

डिफेन्डेन्ट (अभियुक्त)
अपराध का आरोप लगाया गया व्यक्ति।

होमिसाइड (नर-हत्या)
जब एक व्यक्ति की हत्या दूसरे व्यक्ति द्वारा की जाती है।

अभियुक्त
अपराध का दोषी पाया गया व्यक्ति (दोषी पाए जाने से पहले, अपराध के लिए चार्ज किए गए व्यक्ति को 'डिफेन्डेन्ट' या अभियुक्त कहा जाता है।)

पैरोल
जब अपराधी को उनकी सजा पूरी कर लेने के लिए जेल से बाहर समुदाय में रिहा कर दिया जाता है। उनके लिए कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी है।

रिस्टोरेटिव जस्टिस (मजबूत करने वाला न्याय)
रिस्टोरेटिव जस्टिस की मदद से पीड़ित अपराधी को यह बता सकते हैं कि उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, वे नुकसान की मरम्मत के लिए क्या कर सकते हैं इस बारे में अपने विचार दे सकते हैं, और अपराध के कुछ प्रभावों पर समाधान का काम शुरू कर सकते हैं। इस मीटिंग को रिस्टोरेटिव जस्टिस कॉन्फ्रेंस कहा जाता है।

गंभीर अपराध
- एक यौन प्रकृति या अन्य गंभीर आक्रमण का अपराध।
- एक ऐसा अपराध जिसके परिणामस्वरूप गंभीर चोट लगी हो या किसी की मृत्यु हुई हो।
- एक ऐसा अपराध जिसके कारण पीड़ित को अपनी सुरक्षा या अपने नज़दीकी परिवार के एक या अधिक सदस्य की सुरक्षा के बारे में लगातार आशंका हो रही हो।

विक्टिम नोटिफिकेशन रजिस्टर (पीड़ित अधिसूचना या चेतावनी रजिस्टर)
एक गोपनीय सूची जिसका प्रयोग क्रिमिनल जस्टिस (दण्ड-न्याय) एजेंसियां पीड़ितों को अपराधी के बारे में सूचित करने के लिए कर सकती हैं, जैसे कि अदालत की प्रणाली के दौरान केस कहाँ पर है, अगर उनकी जेल से अस्थायी रिहाई हो रही है और अभियुक्त पैरोल के लिए जा रहा है।

केस इंचार्ज पुलिस अधिकारी के पास अपने ब्यौरे को रजिस्टर करें।

विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट (पीड़ित प्रभाव कथन)
इस बात का रिकॉर्ड कि अपराध ने पीड़ित को किस प्रकार से प्रभावित किया है। विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट आमतौर पर लिखित रूप में होता है, परन्तु इसमें फोटो, चित्रों या कविताओं को शामिल किया जा सकता है। यह जरूरी है कि अभियुक्त को सजा देते समय जज द्वारा इस पर विचार किया जाए। पीड़ित व्यक्ति सजा सुनाने से पहले कथन को अदालत में पढ़ सकते हैं।

कोर्टरूम

इस डॉयग्राम (नक्शे) में कोर्टरूम के नक्शे का एक उदाहरण और आपको कौन-कौन दिखाई दे सकता है, यह दिखाया गया है।

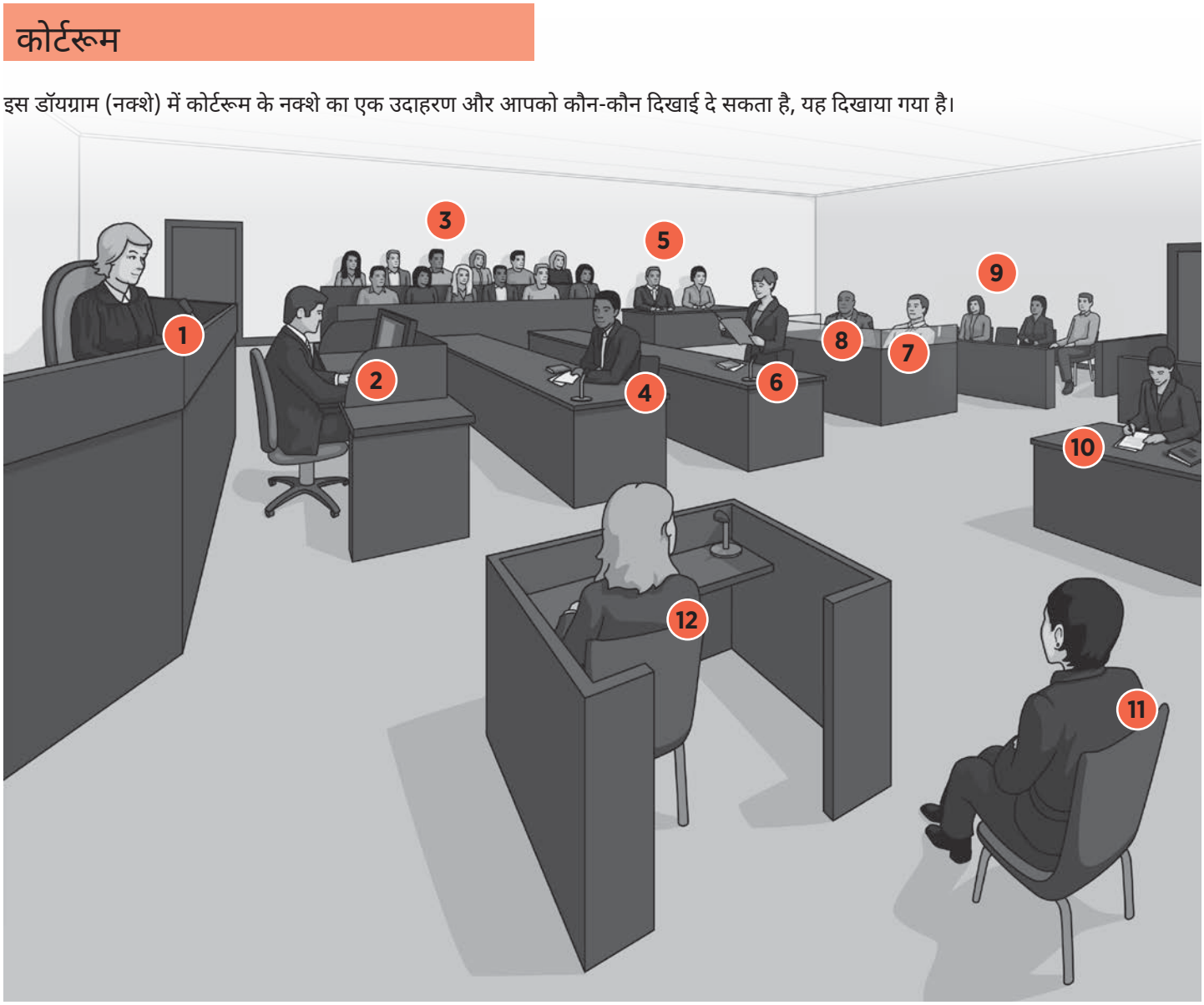

1. **जज** अदालत के इंचार्ज या प्रभारी हैं। वे इस बात का निर्णय करते है कि अभियुक्त दोषी है या नहीं, अगर ज्यूरी होती है तो उनकी जगह ज्यूरी इसका निर्णय लेगी।
2. **रजिस्ट्रार** जज की सहायता करते हैं तथा यह निश्चित करते हैं कि अदालत की प्रणाली का पालन किया जाए।
3. **ज्यूरी** 12 लोगों को मिलाकर बनाई जाती है जो यह निर्णय लेते हैं कि अभियुक्त दोषी है या नहीं।
4. **प्रोसिक्यूटर (अभियोक्ता)** सरकार की ओर से केस लेते हैं तथा उनका उद्देश्य होता है अभियुक्त के खिलाफ केस प्रस्तुत करना ।
5. **मीडिया** पत्रकार होते हैं जो केस के बारे में रिपोर्ट करते हैं।
6. **डिफेन्डेन्ट (अभियुक्त) का वकील** अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करता है।
7. **अभियुक्त** वह व्यक्ति होता है जिस पर अभियोग लगाया जाता है।
8. **प्रिज़नर्स एस्कोर्ट (कैदी के साथ जाने वाला व्यक्ति)** अभियुक्त के साथ जाता है।
9. **पब्लिक गैलरी** वह स्थान जहाँ जनता के लोग और पीड़ित का परिवार बैठ सकते हैं, तथा जहाँ गवाह अपनी गवाही देने के बाद बैठ सकते हैं।
10. **कोर्ट विक्टिम एजवाइज़र (कोर्ट पीड़ित सलाहकार)** पीड़ित की अदालत की प्रणाली को समझने में सहायता करता है। यह जरूरी नहीं है कि वे हमेशा अदालत में उपस्थित हों।
11. **विटनेस सपोर्ट परसन (गवाहों का सहायक व्यक्ति)** वह व्यक्ति जिसे जज ने अदालत में गवाह को सहारा देने की अनुमति दी है।
12. **विटनेस (गवाह)** जो कुछ हुआ उसके बारे में या वे अपराध के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसके बारे में गवाही देते हैं।